न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी— मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

वाद संख्या:— 50/2020 **दायरा दिनांक:— 01.07.2020**

—: अनवान :—

1. अमरसिंह
2. कुलदीप गोदारा

} पुत्रगण रूपराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

....वादी

बनाम

1. रूपराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. शाखा मैनेजर इलाहाबाद बैंक सूरतगढ़ ।
3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

........प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 207, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित:—

1. श्री अमित कुमार सैनी, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

— :: निर्णय ::—

दिनांक:— 23.07.2020

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य सक्षेंप मे इस प्रकार से है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रूपराम के नाम से कृषि भूमि वाके चक 38 P.B.N. तहसील सूरतगढ़ में संयुक्त खाता में खाता संख्या संख्या 64/70 जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के पत्थर नम्बर 56/377 मु0 न0 27 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 18, 23 ता 25 मे 3.036 है0 मे से कुल 195 हिस्सा यानि 2.467 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 38 P.B.N. तहसील सूरतगढ मे संयुक्त खाता मे खाता संख्या 65/71 जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के पत्थर नम्बर 56/378 मु0न0 32 के किला नम्बर 17, 23, 24 मे 0.759 है0 मे 1/2 हिस्सा यानि 0.3795 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 38 P.B.N. तहसील सूरतगढ मे खाता संख्या 66/72 जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के पत्थर नम्बर 61/377 मु0न0 22 के किला नम्बर 3 ता 8, 14 ता 17 मे 2.530 है0 पत्थर नम्बर 57/378 मु0न0 33 के किला नम्बर 1 ता 15 मे 3.795 है0 नाली दोयन मय खाला कुल 6.325 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। चक 38 P.B.N. तहसील सूरतगढ मे संयुक्त खाता मे खाता संख्या 34/41 जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के पत्थर नम्बर 56/378 मु0न0 32 के किला नम्बर 1 ता 4, 7

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

ता 14, 18 ता 22 मे 4.301 है0 नाली दोयम मे से 0.385 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 38 P.B.N. तहसील सूरतगढ मे संयुक्त खाता मे खाता संख्या 35/42 जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के पत्थर नम्बर 55/378 मु0न0 31 के किला नम्बर 1 ता 25 मे 6.325 है0 , पत्थर नम्बर 56/378 मु0न0 32 के किला नम्बर 5,6,15,16,25/1 मे 1.252 है0 नाली दोयम मय रास्ता कुल 7.5770 है0 नाली दोयम मय रास्ता मे से 0.506 है0 नाली दोयम मय रास्ता खातेदारी भूमि दर्ज राज़स्व रिकार्ड है। उक्त रकबा प्रतिवादी नम्बर 1 स्वयं के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हैं। प्रतिवादी नम्बर 1 के दो ही संताने (दो पुत्र) है जो वाद पत्र मे बतौर वादी नम्बर 1 व 2 पर दर्ज है। प्रतिवादी ने अपने दो पुत्रो को अपने नाम व कब्जा काश्त की भूमि मे से वादी नम्बर 1 व 2 को निम्न प्रकार से भूमि देना तय किया है जिसकी घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जावे–

(क)– वादी नम्बर 1 अमर सिंह के नाम निम्न भूमि की हको की घोषणा की जाकर खाता अलग किया जावे:–

चक न.	खाता न.	पत्थर नम्बर	किला न.	कुल रकबा
38 पी.बी.एन.	64/70	56/377	4 ता 7, 14 ता 17, 24 में 15 बिस्वा, 25	9–15 बीघा (2.467 हैक्टेयर)
38 पी.बी.एन.	35/42	55/378		2.00 बीघा (0.506 हैक्ट.)

(ख)– वादी न. 2 कुलदीप गोदारा के नाम से निम्न भूमि की हको की घोषणा की जाकर खाता अलग किया जावे:–

चक न.	खाता न.	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल रकबा
38 पी.बी.एन.	66/72	57/378	2 ता 15 सालम	14.00 बीघा (3.542 हैक्टैयर)

(ग) प्रतिवादी रूपराम पुत्र बीरबल के नाम से वाद के पैरा संख्या 2 मे दर्ज रकबा मे से वादी नम्बर 1 व 2 को उक्त अनुसार रकबा देने के बाद शेष रकबा की डिक्री प्रतिवादी के नाम से जारी की जावे। वादीगण को हिस्सा देने के बाद शेष रकबा का प्रतिवादी नम्बर 1 स्वयं काबिज काश्तकार होगा। दावा डिक्री किये जाने के बाद वादीगण एवं प्रतिवादी किसी एक दूसरे के कब्जा काश्त मे दखल नही करेगे। प्रतिवादी को खाता विभाजन व घोषणा का दावा प्रस्तुत करने को कहा तो उन्होने स्पष्ट इंकार कर दिया यही वाद प्रस्तुत करने का कारण है। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र अनुतोष क ता ड़ अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी न. 1 ने हाजिर अदालत आकर अपना इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित है तथा मैं प्रतिवादी सहमत हूँ।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत कर स्वीकार कर लिया हैं तथा वादीगण द्वारा मुख्य अनुतोष प्रतिवादी न. 1 से ही चाहा हैं इसलिए वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा वादी संख्या 1 अमर सिंह पुत्र रूपराम को चक 38 P.B.N. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 64/70 जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के पत्थर नम्बर 56/377 के किला नम्बर 4 ता 7/1.012, 14 ता 17/1.012, 24/0.190, 25/0.253 = 2.467 हैक्टेयर तथा इसी चक 38 P.B.N. के खाता सख्या 35/42 जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के पत्थर नम्बर 55/378 में 0.506 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी न. 1 रूपराम के स्थान पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं तथा इतनी भूमि पर से प्रतिवादी न.1 रूपराम का नाम कलमजन करने का आदेश दिया जाकर अमरसिंह पुत्र रूपराम का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। इसी प्रकार वादी संख्या 2 कुलदीप गोदारा को चक 38 P.B.N. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 66/72 के पत्थर नम्बर 57/378 के किला नम्बर 2 ता 15 = 3.542 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी न. 1 रूपराम के स्थान पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं तथा इतनी भूमि पर से प्रतिवादी न. 1 रूपराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 कुलदीप गोदारा पुत्र रूपराम का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। उपरोक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज होने के बाद शेष बची प्रतिवादी संख्या 1 रूपराम के नाम ही रहेगी। भूमि अगर रहन हैं तो रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/07/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-07-2020

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

—:: परचा डिक्री ::—

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

—: अनवान :—

1. अमरसिंह
2. कुलदीप गोदारा

} पुत्रगण रूपराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

....वादीगण

बनाम

1. रूपराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. शाखा मैनेजर इलाहाबाद बैंक सूरतगढ़ ।
3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

........प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53, 207 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 50 वर्ष 2020 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री अमित कुमार सैनी व वकील प्रतिवादी संख्या 1 श्री भागीरथ बिश्नोई तथा राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :—

वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा वादी संख्या 1 अमर सिंह पुत्र रूपराम को चक 38 P.B.N. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 64/70 जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के पत्थर नम्बर 56/377 के किला नम्बर 4 ता 7/1.012, 14 ता 17/1.012, 24/0.190, 25/0.253 = 2.467 हैक्टेयर तथा इसी चक 38 P.B.N. के खाता सख्या 35/42 जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के पत्थर नम्बर 55/378 में 0.506 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी न. 1 रूपराम के स्थान पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं तथा इतनी भूमि पर से प्रतिवादी न.1 रूपराम का नाम कलमजन करने का आदेश दिया जाकर अमरसिंह पुत्र रूपराम का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। इसी प्रकार वादी संख्या 2 कुलदीप गोदारा को चक 38 P.B.N. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 66/72 के पत्थर नम्बर 57/378 के किला नम्बर 2 ता 15 = 3.542 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी न. 1 रूपराम के स्थान पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं तथा इतनी भूमि पर से प्रतिवादी न. 1 रूपराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 कुलदीप गोदारा पुत्र रूपराम का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। उपरोक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज होने के बाद शेष बची प्रतिवादी संख्या 1 रूपराम के नाम ही रहेगी। भूमि अगर रहन हैं तो रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करे।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

नोज.......... ×· .... मुबलिग.........× .... बाबत..........×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... फस्दो की पालना ...... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23/07/2020 .को जारी की गई।

23-07-2020

(मनोज कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.07.30 16:52:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: